

हर काम का एक सही समय होता है

बाल विवाह को
ना कहें



आवश्यकता
पड़ने पर **मदद लें**



यदि आपको बाल विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है
तो तुरंत 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क करें



**अपने अधिकारों
को जानें**

भारत में शादी करने की कानूनी उम्र लड़कियों
के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है

किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और जानकारी के लिए अपने निकटतम
किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर पर जायें

